न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.), मौजमाबाद, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी : बलबीर सिहं, R.A.S.

प्रकरण : प्रार्थना पत्र

(GCMS No.): 2024/97

1. मेधा धाकड़ पत्नी जसवंत धाकड जाति धाकड निवासी 175 लायन्स लैन शिव मार्ग खिरणी फाटक के पास सिरसी रोड जयपुर राज0।

– प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
2. केहरी सिहं धाकड़ पुत्र श्री प्यारे लाल धाकड़ जाति धाकड निवासी 175 लायन्स लैन, शिव मार्ग खिरणी फाटक के पास सिरसी रोड जयपुर राज0।
3. गौरव सिहं पुत्र रामरूप जाति जाट निवासी लुहासा भरतपुर जिला भरतपुर राज0।
4. प्रबंधक वन विभाग बिचून तहसील मौजमाबाद जिला दूदू राज0।

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र :– अर्न्तगत धारा 128 आर.एल.आर. एक्ट पत्थरगढी करने बाबत्।

उपस्थित : 1. श्री शंकर चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी।

2. विपक्षी सं 02 से 04 अनुपस्थित ।

: : आदेश : :

दिनांक :– 10/6/25

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमियां मौजा गांव भैराणा तहसील मौजमाबाद मे निम्न विवरण की कृषि भूमियां स्थित है खाता सं. 96 की आराजी ख0 न0 28 रकबा 1.5200 है0 एवं खसरा नं. 29 रकबा 0.8200 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 2.3400 है0 में प्रार्थीया खातेदार दर्ज है। प्रार्थीया के लगवा विपक्षी सं 2 से 4 की कृषि भूमियां स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है, विपक्षी सं. 2 की आराजीयात खाता सं0 107 आराजी ख0न0 27 रकबा 2.4800 है0 एवं विपक्षी सं 3 की आरार्जीयात खाता सं0 105 आराजी ख0न0 26 रकबा 0.7100 है0 व विपक्षी संख्या 4 की आराजीयात खाता संख्या 716 की आराजीयात कुल किता 09 कुल रकबा 577.54 है0 स्थित है। प्रार्थीया के खेत की मेर सींव के सम्वन्ध में आये विवाद होते रहते हैं। उपतहसीलदार बिचून के आदेश कमांक एल आर/2022/684 दिनांक 14.06.2022 की पालना में खसरा नम्बर 28 का सीमाज्ञान किया जा चुका है, बावजूद इसके पडौसी खातेदार काश्तकार उक्त सीमाज्ञान को मानने से इन्कार कर रहे है एवं विपक्षीगण अपनी सीमाओं से अधिक बढकर प्रार्थीया की आराजी की सीमाओं में घुसकर मेड तोडकर कब्जा करने का प्रयास करने के कारण प्रार्थीया ने यह प्रार्थना–पत्र पेश कर पत्थरगढी की दाद मांगी गई है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे तथा प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात की पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश फरमावे।

उप खण्ड अधिकारी
मौजमाबाद (जयपुर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीया उपस्थित। विपक्षी 2 से 4 बाद तामिल सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई ।

प्रार्थी अधिवक्ता एकतरफा बहस को सुना दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित बिन्दुओ को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी की आराजीयात के सम्बन्ध में विपक्षीगण मेर सिव को आये दिन विवाद करते रहते है।अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त भूमि का पत्थरगढी आदेश प्रदान करे।

हमने अधिवक्ता प्रार्थीया की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व गांव भैराणा तहसील मौजमाबाद मे निम्न विवरण की कृषि भूमियां स्थित है खाता सं. 96 की आराजी ख0 न0 28 रकबा 1.5200 है0 में प्रार्थीया खातेदार दर्ज है। प्रार्थीया के लगवा विपक्षी सं 2 से 4 की कृषि भूमियां स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है विपक्षी सं. 2 की आराजीयात खाता सं0 107 आराजी ख0न0 27 रकबा 2.4800 है0 एवं विपक्षी सं 3 की आराजीयात खाता सं0 105 आराजी ख0न0 26 रकबा 0.7100 है0 व विपक्षी संख्या 4 की आराजीयात खाता संख्या 716 की आराजीयात कुल किता 09 कुल रकबा 577.54 है0 में दर्ज खातेदार है। प्रार्थीया आये दिन होने वाले सीमा विवाद के निस्तारण हेतु अपनी उक्त कृषि भूमियों की पत्थरगढी करवाना चाहता है। प्रार्थीया के द्वारा पूर्व में भी इस मेर सिव के विवाद के कारण सीमाज्ञान करवाया गया है , उक्त सीमाज्ञान के बावजूद प्रार्थीया एवं विपक्षी सं. 2 से 4 की आराजी के मध्य सीमा को लेकर विवाद के कारण न्यायालय में प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी का प्रा0पत्र पेश किया।

अतः भविष्य में प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 2 से 4 के मध्य कानून पेचीदगीया न बढें व पक्षकारो की आराजीयात की सीमाओ का सही निर्धारण हो इस बाबत प्रार्थीया अपनी आराजीयात मे पत्थरगढ़ी कराने की अधिकारी साबित होती है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं आदेश सुनाया जाता है:–

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्व गांव भैराणा तहसील मौजमाबाद की जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता सं. 96 की आराजी ख0 न0 28 रकबा 1.5200 है0 प्रार्थीया की खातेदारी एवं राजस्व गांव भैराणा तहसील मौजमाबाद की जमाबन्दी सम्वत 2073–76 मे निम्नानुसार दर्ज खातेदारो की आराजीयात विपक्षी सं. 2 की आराजीयात खाता सं0 107 आराजी ख0न0 27 रकबा 2.4800 है0 एवं विपक्षी सं 3 की आराजीयात खाता सं0 105 आराजी ख0न0 26 रकबा 0.7100 है0 व विपक्षी संख्या 4 की आराजीयात खाता संख्या 716 की आराजीयात कुल किता 09 कुल रकबा 577.54 है0 के मध्य पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु तहसीलदार मौजमाबाद को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि मौके पर

उप खण्ड अधिकारी
मौजमाबाद (जयपुर)

उभयपक्ष की उपस्थिति में आवश्यकता होने पर जरिये पुलिस इमदाद प्राप्त कर नियमानुसार पत्थरगढी करवाकर पर्चा मौका तैयार कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। कमिश्नर फीस प्रार्थीया से नियमानुसार प्राप्त करें। तहसीलदार मौजमाबाद को तहरीर जारी होकर पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 10/6/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बलबीर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
मौजमाबाद, जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
मौजमाबाद (जयपुर)